न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

(1) प्रकरण संख्याः 50 / 2018 / अपील / एल.आर.एक्ट / कोटा
दायरा दिनांकः 31.5.2018
अन्तर्गत धाराः 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. धनराज पुत्र छगनलाल
2. सुरेश कुमार पुत्र छगनलाल

जाति मीणा, निवासीगण ग्राम मुगेना तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज0)।

...अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमती ललताबाई पत्नी स्व. गिर्राज प्रसाद
2. श्रीमती राजेशबाई पुत्री स्व. गिर्राज प्रसाद
3. श्रीमती रजनीबाई पुत्री स्व. गिर्राज प्रसाद
4. चेतन कुमार पुत्र स्व. गिर्राज प्रसाद
5. ललित कुमार पुत्र स्व. गिर्राज प्रसाद

   जति मीणा, निवासीगण ग्राम खातौली रोड इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज0)।

6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा (राज.)।

..रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री नन्दसिंह हाडा अभिभाषक अपीलार्थी
श्री ललित नागर अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

(2) प्रकरण संख्याः 65 / 2018 / अपील / एल.आर.एक्ट / कोटा
दायरा दिनांकः 12.7.2018
अन्तर्गत धाराः 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. श्रीमती ललताबाई पत्नी स्व. गिर्राज प्रसाद
2. श्रीमती राजेशबाई पुत्री स्व. गिर्राज प्रसाद
3. श्रीमती रजनीबाई पुत्री स्व. गिर्राज प्रसाद

4. चेतन कुमार पुत्र स्व. गिर्राज प्रसाद
5. ललित कुमार पुत्र स्व. गिर्राज प्रसाद
जति मीणा, निवासीगण ग्राम खातौली रोड इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज0)।

..... अपीलार्थी

बनाम

1. धनराज पुत्र छगनलाल
2. सुरेश कुमार पुत्र छगनलाल
जाति मीणा, निवासीगण ग्राम मुगेणा पोस्ट बिनायका तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज0)।
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा (राज.)।

..रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री ललित नागर अभिभाषक अपीलार्थी
श्री नन्दसिंह हाडा अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

:::निर्णय:::

दिनांक 4.6.2019

अपीलार्थी ने न्यायालय अति0 जिला कलक्टर कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 204/2016 (अपील) धारा 75 एलआरएक्ट बउनवान गिर्राज प्रसाद (मृतक) जरिये कायम मुकामान श्रीमती ललताबाई वगेरा बनाम धनराज आदि मे पारित निर्णय दिनांक 16.5.2018 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से व्यथित होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 मे इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 अपील सं0 50/18 व 65/18 मे एक समान पक्षकारान होने व प्रकरण की विषयवस्तु एक समान होने से दौनो प्रकरणो को एक ही निर्णय से निर्णित किया जा रहा है।

2 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा के निर्णय दिनांक 10.8.2015 व उक्त निर्णय के आधार पर तस्दीक किया गया नामान्तरकरण संख्या 504, 2460 दिनांक 24.8.2015 निर्णय व नामान्तरकरण आदेश न्याय एवं संचिका मे सिद्धि प्राप्त तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने हेतु गिर्राज प्रसाद (मृतक) जरिये कायम मुकामान के अपील अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट मे रेस्पो0 धनराज वगेरा के विरूद्ध न्यायालय अति0 जिला कलक्टर कोटा के यहां पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 16.5.2018 से अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर निर्णय दिनांक 10.8.2015 एवं निर्णय के आधार पर तस्दीक किये गये नामा0 सं0 504, 2460 दिनांक 24.8.2015 को निरस्त कर पक्षकारान मुकदमा शामलाती खाते की विवादित आराजी के संबध मे विधि सम्मत रूप से सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करने का पारित किया जिससे व्यथित होकर अपीलांट गिर्राज प्रसाद (मृतक) जरिये कायम मुकामान के अपील पेश कर प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.5.2018 निरस्त कर तहसीलदार पीपल्दा का आदेश दिनांक 10.8.2015 बहाल रखने तथा अपील सं0 65/18 अपीलांट श्रीमती ललताबाई द्वारा पेश कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.5.18 पक्षकारान द्वारा वादग्रस्त आराजी के संसबध मे विधिसम्मत रूप से सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करने की सीमा तक आदेश निरस्त करने तथा स्व.

रामकल्याण उर्फ कल्याण के द्वारा अपीलांट के पिता स्व. गिर्राज के पक्ष मे निष्पादित की गई रजि. वसीयत दिनांक 8.8.89 के आधार पर अपीलांट का वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड मे बहैसियत खातेदार नाम दर्ज करने का अनुतोष चाहा गया।

3 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्याया0 का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

4 विद्वान अभिभाषक नन्दसिंह हाडा ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलांट के दादा शंकरलाल के खाते मे विभिन्न गांवों मे 300 बीघा भूमियां स्थित थी। शंकरलाल के दो पुत्र छगनलाल व कल्याण हुये कल्याण लाऔलाद फोत हो गया। कल्यण की मृत्यु बाद शंकरलाल भूमि भूमि बावत दो सिलिंग कार्यवाही छगनलाल व रामक्लयाण व कल्याण के विरूद्ध की गई जिसमे भूमि को चार चूनिटो मे विभाजित किया इस प्रकार गिर्राज धनराज व सुरेश तीनो को ही छगनलाल की यूनिट मे शामिल किया गया तथा रामकल्याण को 75 (30.17 एकड भूमि) बीघा मे से 55 बीघा स्वयं के खाते मे और 20 बीघा के लगभग प्रभूबाई के हिस्से मे दर्ज की गई शेष भूमि को राज्य सरकार द्वारा सिलिंग सरप्लस घोषित कर दिया गया इस प्रकार 40–50 बीघा भूमि ही कल्याण जी के हिस्से मे शेष रहती है ऐसी स्थिति मे वसीयत के आधार पर पारित किया गया निर्णय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नही दिया कि सिलिंग कार्यवाही की यूनिट मे गिर्राजप्रसाद को दत्तक पुत्र की हैसयित से न तो कल्याण की यूनिट मे मे शामिल नही किया गया ना ही यूनिट बनाई गई ऐसी स्थिति मे उक्त निर्णय निरस्तनीय है। सिलिंग कार्यवाही के दौरान प्रभूबाई को यूनिट के तहत 1/2 हिस्सा बनता था लेकिन रामक्लयाण उर्फ कल्याण व प्रभूबाई दोनो पति पत्नी थे इसलिये प्रभूबाई के नाम 27–28 बीघा जमीन ही रखी जो ग्राम मुगेना की थी उक्त जमीन के ही विवाद है। जिस विल से प्रोपर्टी ट्रांसफर हुई वह ट्रान्सफरऐबल नही थी जिसकी थाना इटावा मे एफआईआर 39/2019 दर्ज कराई है। वर्तमान मे रामकल्याण द्वारा भूमि ट्रान्सफर करने के बाद जाज 97 बीघा खाते मे है पर मुंगेडा की 11.37 एकड मे 1/3 मे हिस्सा सुरेश पुत्र छगन, धनराज आ0 छगन को हक त्याग से दर्ज हुआ इस दस्तावेज के आधार पर मेरा नामा0 खुला जिसके विरूद्ध न्यायालय अति0 जिला कलक्टर कोटा के यहां अपील पेश की गई जिसमे अधीनस्थ न्यायालय ने नामा0 निरस्त कर दिया। हक त्याग फजी कैसे है उसी दिन मृत्यु हुई एफआईआर थाना नयापुरा मे दर्ज हुई तथा अभी कोर्ट मे केस पेन्डिग है। रिलीज डीड की एफएसएल की किलेयर रिपोर्ट नही है इस आधार पर एडीएम का फैसला गलत है तथा तहसीलदार पीपल्दा का निर्णय व नामा0 सही है। रामकल्याण के द्वारा की गई वसीयत मे उनके उपयोग–उपभोग की सम्पति की वसीयत की गई है लेकिन बाद मे प्रभूबाई की मृत्यु होने पर प्रभूबाई के हिस्से की भूमि रामकल्याण उर्फ कल्याण के हिस्से मे आने पर उक्त भूमि का हक त्याग अपीलांट के पक्ष मे किया गया जो रामकल्याण की स्वंतत्र संपत्ति थी। दत्तक पुत्र के संबध मे गिर्राज प्रसाद द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही करने भी अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित कर कानूनी भूल की है। वसीयत व हकत्याग दोनो ही दस्तावेजो मे भूमि हैक्टर मे अंकित की गई है ऐसी स्थिति मे दोनो दस्तावेजो मे अंकित किये गये खसरा नम्बर व मिलान व समान होने चाहिये, ऐसा नही होते हुये भी अधीनस्थ न्याया0 निर्णय पारित कर त्रुटि की है। अतः उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया।

5 विद्वान अभिभाषक श्री ललित नागर ने प्रकरण मे लिखित बहस पेश की जिसका संक्षिप्त मे सार इस प्रकार है कि ग्राम मुंगेना मे कुल किता 8 रकबा 11.37 है0 भूमि स्थित है जिसमें स्व0 रामकल्याण उर्फ कल्याण का 1/3 हिस्सा निहित है तथा ग्राम अयाना मे कुल 2 किता रकबा 8.89 है0 स्थित है जिसमे रामकल्याण उर्फ कल्याण व छगनलाल का हिस्सा 1/2 संयुक्त रूप से है। स्व0 कल्याण व छगनलाल दोनो भाई थे कल्याण के कोई वारिस नही था छगनलाल के 4 पुत्र गिर्राज मदनलाल सुरेश व धनराज थे। कल्याण के कोई वारिस नही होने से अपीलांट को बचपन मे ही गोद ले लिया था। रामकल्याण ने अपने जीवनकाल मे ही अपनी सम्पूर्ण चल अचल भूमि व मकानात आदि की रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 8.8.1989 को उप पंजीयक कार्यालय कोटा मे उपस्थित होकर अपने गोद पुत्र अपीलांट के पक्ष मे निष्पादित करवा दी वसीयत के आधार पर रामकल्याण की मृत्यु उपरांत उनकी सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति पर बहैसियत मालिक काबिज काश्त होकर उपयोग उपभाग करता चला आ रहा है। अपीलांट के पिता कल्याण का दिनांक 26.4.10 को सुबह 5.00 बजे स्वर्गवास होने के पश्चात सम्पूर्ण कियाकम इत्यादि अपीलांट ने सम्पादित किये। एक मात्र वारिस होने के आधार पर जो भी कृषि भूमि स्व0 रामकल्याण के नाम स्थित थी वह अपीलांट के नाम दर्ज की जानी चाहिये थी। ग्राम मुंगेना की स्व0 कल्याण की कृषि भूमि को मुताबिक वसीयत अपीलांट के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज की गई। परन्तु स्व0 रामकल्याण व छगनलाल के नाम संयुक्त रूप से दर्ज

चली आ रही अन्य भूमि सहवन से अपीलांट के नाम दर्ज नही हो सकी जिसके कारण स्व0 कल्याण का नाम दर्ज चला आ रहा था। रेस्पो0 धनराज व सुरेश ने दिनांक 15.5.2015 को रेस्पो0 क्रम 3 के समक्ष एक प्रार्थना पत्र पेश कर फर्जी व कूटरचित एवं बनावटी इकरारनामा दिनांक 26.4.2010 का पेश कर उक्त वर्णित कृषि आराजीयात के संबध मे हक त्याग पत्र स्व0 कल्याण द्वारा निष्पादित करना बताते हुये पेश किया जिसके आधार पर दिनांक 10.8.2015 को तहसीलदार पीपल्दा द्वारा गलत रूप से निर्णय पारित करते हुये रेस्पो0 के नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया। तहसीलदार पीपल्दा का उक्त आदेश माननीय उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों व स्थापित विधि के विरूद्ध जाकर पारित किया है जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जेरअपील निर्णय से निरस्त कर दिया परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रार्थी का नाम वाद वर्णित जमीन के राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करने के आदेश पारित करना चाहिये था। तहसीलदार पीपल्दा द्वारा जारी नोटिस गिर्राज व मदनलाल को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त नही हुये ना ही कोई जानकारी कार्यवाही की कभी हुई। नोटिस पर तामील कुनिन्दा द्वारा मिलीभगत कर फर्जी हस्ताक्षर कर बाद तमील रिपोट्र अधीनस्थ न्यायालय मे पेश करदी। उक्त कृत्य के संबध मे धनराज व सुरेश के विरूद्ध पुलिस थाना इटावा मे आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया जो एफआईआर सं0 137/18 पर दर्ज है जो अनुसंधानाधीन है। इस प्रकार तहसीलदार द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय को नामा0 निरस्त करने के आदेश के साथ साथ प्रार्थी का नाम नामा0 मे दर्ज करने का आदेश पारित करना चाहिये था ऐसा नही कर अधीनस्थ न्यायालय ने गलती की है। धनराज व सुरेश द्वारा फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार करवाया गया और बेक डेट मे नोटेरी करवाया गया। तहसीलदार पीपल्दा ने अपने निर्णय मे यह माना है कि स्व0 रामकल्याण दिनांक 26.4.10 को बीमार थे उनको ईलाज हेतु महाराव भीमसिंह चिकि0 कोटा ले जाया गया था जहां पर उन्होने धनराज व सुरेश के पक्ष मे हक त्याग पत्र आलेखित किया था तथा कोटा से आने के बाद शाम को ही उसी दिन उनका स्वर्गवास हो गया। जबकि वास्तविकता यह है कि स्व0 कल्याण जी को दिनांक 26.4.10 को कोटा बीमारी के ईलाज हेतु नही जे जाया गया। उनका स्वर्गवास तो दिनांक 26.4.10 को ही सुबह 5.00 बजे हो चुका था तथा दाह संस्कार भी इटावा मे किया गया था। अतः स्पष्ट है कि इकरारनामा दिनांक 26.4.10 को प्रथम दृष्टया ही फर्जी व कूटरचित प्रमाणित है। जिसकी जानकारी होने पर प्रार्थी ने तुरंत एफआईआर पुलिस थाना नयापुरा मे दर्ज कराई जो 39/17 है। इस प्रकरण मे धनराज व सुरेश को गिरफतार किया गया। उक्त प्रकरण सं0 1836/19 सरकार बनाम धनराज वगेरा से न्यायालय मे लम्बित है। उपरोक्त स्थिति मे तहसीलदार पीपल्दा द्वारा जो आदेश/नामा0 पारित किये गये वह निरस्त किये जाने योग्य होने से अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील निर्णय से निरस्त किये है जो सही है। स्व0 कल्याण जी के स्वर्गवास पश्चात उनके कब्जे काश्त व खातेदारी मे दर्ज चली आ रही वादग्रस्त भूमि के अलावा सम्पूर्ण भूमि प्रथम श्रेणी के वारिस होने से प्रार्थीगण के पिता के नाम खाते दर्ज की गई। धनराज, सुरेश की ओर से प्रकरण मे आदेश 41 नियत 27 सीपीसी के आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत सीलिंग से संबधित निर्णय जमाबदी आदि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किये जा चुके है ऐसी स्थिति मे पुनः उन्ही दस्तावेजो को न्यायालय मे पेश नही किया जा सकता। आवेदन पर रेसज्यूरिकेटा का सिद्धांत लागू होता है। अतः धनराज सुरेश द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जावे। उत्तराधिकार कानून के अन्तर्गत सम्पत्ति अंतरण अधिनियम के अनुसार निष्पादित किये गये दस्तावेज 100/- रू0 से अधिक की सम्पत्ति का है तो ऐसा दस्तावेज प्रोपर स्टाम्प पर व रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्र होना आवश्यक है जबकि अपीलांट धनराज व सुरेश न तो स्व0 कल्याण जी प्रथम श्रेणी के वारिस थे और ना ही उनके पक्ष मे ऐसा कोई दस्तावेज रजिस्टर्ड या प्रोपर स्टाम्प यपर निष्पादित था फिर भी तहसीलदार पीपल्दा ने फर्जी कूटरचित बनावटी दस्तावेज के आधार पर उक्त आदेश पारित कर त्रुटि की है। इस संबध मे 2001डीएनजे राज0 पेश 679 व 2017 (1) डीएनजे पेज 438 , आरएलडब्लू 2013(2)सुप्रीम. पेज 1239 तथा एआईआर 2009 (एससी) पेज 1489 व डीएनजे 2013 एससी पेज 889 का न्यायिक उद्धरण पेश करते हुये धनराज सुरेश द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज करने व श्रीमती ललताबाई वगेरा द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर उक्त वर्णित सम्पत्ति के राजस्व रिकार्ड कमे बहैसियत खातेदार नाम दर्ज करने की आज्ञा प्रदान की जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील आदेश से तहसीलदार पीपल्दा के आदेश दिनांक 10.8.2015 को निरस्त करते हुये नामा0 सं0 504 व 2460 निरस्त करने का आदेश पारित किया है वह विधिसम्मत है परन्तु वाद वर्णित सम्पत्ति के राजस्व रिकार्ड मे बहैसियत खातेदार मालिक अपीलांट ललिताबाई वगेरा का नाम दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार पीपल्दा को आदेशित किया जावे।

6 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकारान द्वारा प्रकरण मे प्रार्थना पत्र आर्डर 41 रूल 27 सीपीसी के पेश कर दस्तावेजात पेश किये गये है। उभय पक्षकारान की ओर से पृथक पृथक

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा बहस प्रार्थना पत्र उभय पक्षकार सुनी गई। न्यायहित मे प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत सत्यापित दस्तावेजात प्रकरण के निर्णय मे सहायक होने से रिकार्ड पर लिये जाते है। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जेरअपील निर्णय दिनांक 16.5.18 के गहनता अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि पक्षकारों के मध्य अपने अपने दस्तावेज (रजिस्टर्ड वसीयतनामा एवं कथित इकरारनामा बावत हक त्याग) के आधार पर शामलाती खाते की विवादित आराजी के संबध मे अपने अपने खातेदारी अधिकारों को लेकर विवाद की स्थिति है। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार पीपल्दा द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.8.2015 एवं निर्णय के आधार पर तस्दीक किये गये नामा0 सं0 504, 2460 दिनांक 24.8. 2015 को निरस्त कर पक्षकारान मुकदमा शामलाती खाते की विवादित आराजी के संबध मे विधसम्मत रूप से सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करने का जेरअपील निर्णय दिनांक 16.5.2018 पारित किया है जिसे न्यायोचित नही ठहराया जा सकता। क्योंकि पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी शामलाती खाते की है तथा पक्षकारान के मध्य अपने अपने दस्तावेजात के आधार पर खातेदारी अधिकारों को लेकर विवाद की स्थिति है। चूंकि नामान्तरकरण की कार्यवाही एक सरसरी कार्यवाही है जिसमे किसी व्यक्ति के स्वत्व का निर्धारण नही किया जाता है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय को तहसीलदार द्वारा पारित आज्ञा दिनांक 10.8.2015 एवं निर्णय के आधार पर तस्दीक किये नामान्तरकरण सं0 504, 2460 दिनांक 24.8.2015 को निरस्त नही कर विवादित करार दिया जाकर पक्षकारान को अपने–अपने हक एंव अधिकारों को तय कराने के लिये विवादित आराजी के संबध मे विधिसम्मत रूप से सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करने की आज्ञा पारित करना न्यायोचित था। अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील निर्णय मे उक्त तथ्यों का अभाव रहा है ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय के जेरअपील निर्णय दिनांक 16.5.2018 को न्यायोचित नही ठहराया जा सकता। अतः उक्त विवेचन अनुसार अपील 50/18 धनराज वगेरा बनाम श्रीमती ललता बाई आदि आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय दिनांक 16.5.2018 अपास्त किया जाता है तथा अपील सं0 65/18 उनवान ललताबाई वगेरा बनाम धनराज आदि खारिज की जाती है। तहसीलदार पीपल्दा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.8.15 एवं निर्णय के आधार पर तस्दीक किये गये नामा0 सं0 504, 2460 को विवादित करार दिया जाता है। विवादित आराजी के संबध मे पक्षकारान अपने हक हकूको निर्धारण विधिसम्मत रूप से सक्षम न्यायालय मे चाराजोही कर तय करावे। तहसीलदार पीपल्दा उक्त विवेचित नामा0 विवादित होने का नोट नियमानुसार राजस्व अभिलेख मे लाल स्याही से दर्ज करे। निर्णय प्रमाणित प्रति पालनार्थ तहसीलदार पीपल्दा को प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति अपील सं0 50/18 एवं अपील सं0 65/18 मे पृथक–पृथक संलग्न की गई।

7 निर्णय आज दिनांक 4.6..2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0संभागीय आयुक्त
कोटा